रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322] नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2015/वैशाख 30, 1937
No. 322] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2015 /VAISAKHA 30, 1937

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2015

सा.का.नि. 406(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (नीलामी) नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) अभिप्रेत है ;

(ख) "समेकित अनुज्ञप्ति" से नियम 18 के अधीन अनुदत्त पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा अभिप्रेत है ;

(ग) "खान विकास और उत्पादन करार" से नियम 10 के उपनियम (4) या नियम 18 के उपनियम (8) में निर्दिष्ट करार अभिप्रेत है ;

(घ) "अधिमानी बोली लगाने वाले" से नियम 9 के उपनियम (4) के खंड (ख) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट बोली लगाने वाला अभिप्रेत है ;

(ङ) "अर्हित बोली लगाने वाले" से नियम 9 के उपनियम (4) के खंड (क) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट बोली लगाने वाला अभिप्रेत है ;

(च) "आरक्षित कीमत" से नियम 8 के उपनियम (1) में यथानिर्दिष्ट प्रेषित खनिज मूल्य की न्यूनतम प्रतिशतता अभिप्रेत है ;

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ज) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(झ) "सफल बोली लगाने वाले" से नियम10 के उपनियम (3) या नियम 18 के उपनियम (2) में यथा निर्दिष्ट बोली लगाने वाला अभिप्रेत है ;

(ञ) "तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वाले" से नियम 9 के उपनियम (4) के खंड (क) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट बोली लगाने वाला अभिप्रेत है ;

(ट) "निविदा दस्तावेज" से नियम 9 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट किसी नीलामी का संचालन करने के लिए किसी राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया निविदा दस्तावेज अभिप्रेत है ;

(ठ) "अग्रिम संदाय" से नियम 11 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट संदाय अभिप्रेत है ;

(ड) "अनुमानित साधनों के मूल्य" से ऐसी रकम अभिप्रेत है जो

(i) ऐसे खनिज साधनों के, जिसके लिए खनिज ब्लाक का आबंटन किया जाता है, मीट्रिक टन में व्यक्त अनुमानित मात्रा के ; और

(ii) ऐसे खनिज के प्रति मीट्रिक टन औसत कीमत के, जो सुसंगत राज्य के लिए भारतीय खान **ब्यूरो** द्वारा अनुमानित साधनों के मूल्य की संगणना वाले मास के ठीक पूर्ववर्ती बारह मास की अवधि के लिए प्रकाशित की गई है,

गुणनफल के बराबर है ।

(ढ) "प्रेषित खनिज मूल्य" का वही अर्थ होगा जो नियम 8 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु उनमें परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में उनके हैं ।

3. लागू होना—ये नियम अधिनियम की धारा 3 के खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट गौण खनिजों या प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग 2 में विनिर्दिष्ट खनिजों के रूप में अधिसूचित खनिजों के सिवाय, सभी खनिजों को लागू होंगे ।

4. रियायत का अनुदत्त किया जाना—(1) जहां किसी क्षेत्र के खनिज पदार्थों को खनिज (खनिज पदार्थ साक्ष्य) नियम, 2015 में विनिर्दिष्ट रूप में सिद्ध किया गया है, वहां धारा 10 ख की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किन्हीं अधिसूचित खनिजों की बाबत या धारा 11 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचित खनिजों से भिन्न किन्हीं खनिजों की बाबत खनन पट्टा अध्याय 2 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में अनुदत्त किया जाएगा ।

(2) ऐसे किसी क्षेत्र की बाबत, जहां खनिज (खनिज पदार्थ साक्ष्य) नियम, 2015 के नियम 7 में निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा किया गया है, धारा 10ख की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किन्हीं अधिसूचित खनिजों की बाबत या धारा 11 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिसूचित खनिजों से भिन्न किन्हीं खनिजों की बाबत समेकित अनुज्ञप्ति अध्याय 3 में विनिर्दिष्ट रीति में अनुदत्त की जाएगी ।

अध्याय 2
खनन पट्टे का अनुदत्त किया जाना

5. खनन पट्टे की नीलामी के लिए पूर्व अध्यपेक्षाएं—(1) राज्य सरकार, राज्य के भीतर के किसी क्षेत्र की बाबत खनन पट्टा अनुदत्त करने की नीलामी प्रक्रिया आरंभ कर सकेगी यदि उस क्षेत्र में खनिज पदार्थों का साक्ष्य, खनिज (खनिज पदार्थ साक्ष्य) नियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार सिद्ध किया गया है ।

IndiaCode

(2) राज्य सरकार, खनिज नीलामी की बाबत निविदा आमंत्रण सूचना जारी किए जाने के पूर्व, उस क्षेत्र की, जहां खनन पट्टा, कुल स्थापन और भिन्न-भिन्न वैश्विक अवस्थानन प्रणाली (टोटल स्टेशन एंड डिफ्रेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) का प्रयोग करके नीलामी के माध्यम से अनुदत्त किए जाने का प्रस्ताव है, पहचान और उसका सीमांकन करेगी और इस प्रकार सीमांकित क्षेत्र को वन भूमि, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन भूमि और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन न आने वाली भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ।

(3) इस प्रकार सीमांकित क्षेत्र की सीमा में, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ) में यथा परिभाषित "खान" की परिभाषा के अधीन आने वाले सभी क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित क्षेत्र भी आएगा ।

6. खनन पट्टे के लिए पात्रता—(1) खनन पट्टे की नीलामी में भाग लेने के प्रयोजन के लिए, आवेदक धारा 5 में यथा विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं तथा अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट पात्रता के निबंधनों और शर्तों को पूरा करेगा ।

(2) राज्य सरकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 और पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) और अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) को ध्यान में रखते हुए अनुसूची 1 में ऐसे संशोधन कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे ;

(3) धारा 10ख की उपधारा (6) के परंतुक के अधीन केंद्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए, जिसके अंतर्गत अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग भी है, विशिष्ट खान या खानों का आरक्षण करने के लिए किया जाएगा और राज्य सरकार खानों की एक निश्चित प्रतिशतता को भी अंतिम प्रयोग के लिए चिह्नांकित कर सकेगी ।

(4) जहां राज्य सरकार किसी खान या किन्हीं खानों को किसी विशिष्ट विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए आरक्षित करती है तो खनन पट्टे के अधीन निकाले गए खनिजों का,--

(i) केवल विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए उपयोग किया जाएगा ; और

(ii) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विक्रय या अंतरण या अन्यथा व्ययन नहीं किया जाएगा ।

(5) नीलामी में भाग लेने संबंधी पात्रता का अवधारण पात्रता के निबंधनों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा और सफल बोली लगाने वाले का विनिश्चय केवल पात्र बोली लगाने वालों द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय बोलियों के आधार पर किया जाएगा ।

7. इलैक्ट्रॉनिक नीलामी—(1) नीलामी केवल ऑनलाइन इलैक्ट्रॉनिक नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से संचालित की जाएगी ।

(2) राज्य सरकार, ऐसे किसी ऑनलाइन इलैक्ट्रॉनिक नीलामी प्लेटफार्म का उपयोग कर सकेगी, जो मानकीकरण जांच और क्वालिटी प्रमाणन निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई-उपापन पद्धतियों की क्वालिटी अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम तकनीकी और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करता है ।

8. बोली लगाने के लिए पैरामीटर—(1) राज्य सरकार, निविदा दस्तावेज में प्रेषित खनिज मूल्य की ऐसी न्यूनतम प्रतिशतता विनिर्दिष्ट करेगी, जो 'आरक्षित कीमत' के रूप में ज्ञात होगी ।

(2) प्रेषित खनिज मूल्य—

(i) एक मास में प्रेषित खनिज की रकम के ; और

(ii) प्रेषण के ऐसे मास के लिए भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यथा प्रकाशित (श्रेणीवार और राज्यवार) खनिज की विक्रय कीमत के गुणनफल के बराबर होगा ।

(3) बोली लगाने वाले, राज्य सरकार को संदाय करने के प्रयोजन के लिए, बोली लगाने के पैरामीटर के अनुसार, आरक्षित कीमत के बराबर या उससे अधिक की प्रेषित खनिज मूल्य की प्रतिशतता उद्धृत करेंगे और सफल बोली लगाने वाला राज्य सरकार को,--

(i) यथा उद्धरित प्रतिशतता के ; और

(ii) प्रेषित खनित के मूल्य के,

गुणनफल के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

(4) जहां किसी क्षेत्र की एक से अधिक खनिज के लिए नीलामी की जा रही है, तो सफल बोली लगाने वाले द्वारा उपनियम (2) के अधीन यथा उद्धृत प्रेषित खनिज मूल्य की प्रतिशतता, ऐसे प्रत्येक खनिज के संबंध में राज्य सरकार को संदाय करने के प्रयोजन के लिए लागू होगी ।

(5) यदि कोई खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने के पश्चात्, एक या अधिक नए खनिजों का पता चलता है, तो सफल बोली लगाने वाले द्वारा उपनियम (2) के अधीन यथा उद्धरित प्रेषित खनिज मूल्य की प्रतिशतता ऐसे प्रत्येक खनिज के संबंध में राज्य सरकार को संदाय करने के प्रयोजन के लिए लागू होगी ।

9. बोली लगाने की प्रक्रिया—(1) राज्य सरकार, नियम 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए एक निविदा आमंत्रण सूचना जारी करेगी, जिसके अंतर्गत उसकी वेबसाइट पर उसका प्रकाशन भी है और ऐसी सूचना में नीलामी के अधीन आने वाले क्षेत्र के बारे में संक्षिप्त विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,--

(i) कुल स्थानन और भिन्नक वैश्विक अवस्थानन प्रणाली का प्रयोग करके चिह्नांकित और सीमांकित क्षेत्र की, जिसे वन भूमि, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन भूमि और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन न आने वाली भूमि के रूप में विभाजित किया जाएगा, विशिष्टियां ;

(ii) खनिज (खनिज पदार्थ साक्ष्य) नियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार खोज के दौरान किसी क्षेत्र में खोजे गए सभी खनिजों की बाबत खनिज पदार्थों के साक्ष्य के बारे में अनुमानित खनिज साधन और संक्षिप्त विशिष्टियां ।

(2) राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा,--

(क) खनिज (खनिज पदार्थ साक्ष्य) नियम, 2015 के अनुसरण में भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट, जिसमें उस क्षेत्र में खोजे गए सभी खनिजों की विशिष्टियां और अनुमानित मात्रा विनिर्दिष्ट हो ; और

(ख) कुल स्थानन और भिन्नक वैश्विक अवस्थानन प्रणाली का प्रयोग करके पहचान किए गए और सीमांकित ऐसे क्षेत्र के, जिसे वन भूमि,राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन भूमि और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन न आने वाली भूमि के रूप में विभाजित किया गया हो, राजस्व सर्वेक्षण ब्यौरे ।

(3) बोली लगाने वाले को निविदा दस्तावेज का और ऐसी रिपोर्टों का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित एक नियत अवधि दी जाएगी और बोली लगाने की प्रक्रिया ऐसी अवधि की समाप्ति पर प्रारंभ होगी ।

(4) नीलामी एक उच्चगामी आनलाइन इलैक्ट्रॉनिक नीलामी होगी और इसमें निम्नलिखित दौर समाविष्ट होंगे, अर्थात् :--

(क) नीलामी के प्रथम दौर का आयोजन निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) बोली लगाने वाले,--

(अ) एक तकनीकी बोली प्रस्तुत करेंगे, जिसमें अन्यों के साथ-साथ, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार, बोली में भाग लेने के लिए पात्रता की पुष्टि करने संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य, बोली की प्रतिभूति और ऐसे अन्य दस्तावेज तथा संदाय समाविष्ट हों, जो निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट किए जाएं ; और

(आ) आरंभिक कीमत प्रस्थापना प्रस्तुत करेंगे, जिसमें प्रेषित खनिज मूल्य की प्रतिशतता होगी ;

(ii) केवल उन बोली लगाने वालों पर, जो नियम 6 में विनिर्दिष्ट पात्रता के निबंधनों और शर्तों के अनुसार पात्र पाए जाते हैं और जिनकी आरंभिक कीमत प्रस्थापना आरक्षित कीमत के बराबर या उससे अधिक हो और जिन्हें तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, नीलामी के दूसरे दौर के लिए विचार किया जाएगा ;

(iii) तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों के बीच उच्चतम आरंभिक कीमत प्रस्थापना आनलाइन इलैक्ट्रानिक नीलामी के दूसरे दौर के लिए न्यूनतम कीमत होगी ;

(iv) तकनीकी रूप से पात्र बोली लगाने वालों को उनके द्वारा प्रस्तुत निम्नगामी आरंभिक कीमत प्रस्थापना के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाएगा और उन श्रेणियों के प्रथम पचास प्रतिशत तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वाले (किसी भिन्नांश को उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा) या शीर्ष के पांच तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वाले, इनमें से जो भी उच्चतर हो, इलैक्ट्रानिक नीलामी के दूसरे दौर में भाग लेने के लिए अर्हित बोली लगाने वालों के रूप में अर्हित होंगे ;

परंतु जहां तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों की कुल संख्या तीन से कम है वहां किसी भी तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वाले को अर्हित बोली लगाने वाला नहीं माना जाएगा और नीलामी प्रक्रिया बातिल हो जाएगी :

परंतु यह और कि राज्य सरकार, स्वविवेकानुसार, नीलामी की प्रक्रिया को बातिल न करने का विनिश्चय कर सकेगी, यदि तीसरे या पश्चातवर्ती प्रयास में तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों की कुल संख्या तीन से कम बनी रहती है और राज्य सरकार, ऐसे मामले में, तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों पर अर्हित बोली लगाने वालों के रूप में विचार किए जाने का विनिश्चय कर सकेगी जिससे बोली लगाने वाले की प्रक्रिया को जारी रखा जा सके ।

परंतु यह भी कि यदि तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों की संख्या तीन से पांच के बीच में है तो तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों को अर्हित बोली लगाने वालें के रूप में माना जाएगा :

परंतु यह भी कि दो या अधिक तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों द्वारा समरूप आरंभिक कीमत प्रस्थापना की दशा में ऐसे सभी तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों को, अर्हित बोली लगाने वालों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए समान श्रेणी में रखा जाएगा और ऐसे मामलों में ऊपर उल्लिखित पचास प्रतिशत को पचास प्रतिशत धन तकनीकी रूप से अर्हित ऐसे बोली लगाने वालों की संख्या तक बढ़ा दिया जाएगा जिनकी आरंभिक कीमत प्रस्थापनाएं ऐसी समरूप आरंभिक कीमत प्रस्थापनाओं की संख्या से कम समरूप हैं ।

दृष्टांत : उस दशा में जिसमें तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों की कुल संख्या दस है और तकनीकी रूप से अर्हित प्रत्येक बोली लगाने वाला भिन्न-भिन्न आरंभिक कीमत प्रस्थापना प्रस्तुत करता है वहां पहले पचास प्रतिशत श्रेणी वाले तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों को अर्हित बोली लगाने वाला माना जाएगा ।

यदि ऐसे तीन तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वाले समान आरंभिक कीमत प्रस्थापना प्रस्तुत करते हैं और उन्हें कुल श्रेणी संख्या के पहले पचास प्रतिशत श्रेणी में श्रेणीकृत किया जाता है तो ऐसे सभी तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों को अर्हित बोली लगाने वाला समझा जाएगा और अर्हित बोली लगाने वालों की संख्या में दो की वृद्धि हो जाएगी ।

(ख) दूसरे चक्र की नीलामी निम्नलिखित रीति में की जाएगी, अर्थात् –

(i) अर्हित बोली लगाने वाले अपनी अंतिम कीमत प्रस्थापना प्रस्तुत कर सकेंगे जो न्यूनतम कीमत से अधिक प्रेषित खनिज मूल्य का प्रतिशत होगी :

परंतु नीलामी मंच के तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार अंतिम कीमत प्रस्थापना को नीलामी की समाप्ति तक पुनरीक्षित किया जा सकेगा ।

(ii) यदि कोई अर्हित बोली लगाने वाला, आन लाइन इलैक्ट्रानिक नीलामी मंच पर अंतिम कीमत प्रस्थापना प्रस्तुत नहीं करता है तो नीलामी प्रक्रिया बातिल हो जाएगी ।

(iii) ऐसे अर्हित बोली लगाने वाले को, जिसने उच्चतर अंतिम कीमत प्रस्थापना प्रस्तुत की है, नीलामी समाप्त होने के तुरंत बाद अधिमानी बोली लगाने वाले के रूप में घोषित किया जाएगा ।

10. खनन पट्टे का अनुदत्त किया जाना –(1) अधिमानी बोली लगाने वाला पहली किश्त प्रस्तुत करेगा जो नियम 11 के अनुसार अग्रिम संदाय का दस प्रतिशत होगी ।

(2) अग्रिम संदाय की पहली किश्त प्राप्त होने पर राज्य सरकार अधिमानी बोली लगाने वाले को अशय पत्र जारी करेगा ।

(3) अधिमानी बोली लगाने वाले को –

(क) पात्रता के सभी निबंधनों और शर्तों का पालन जारी रखने पर;

(ख) दूसरी किश्त का, जो अग्रिम संदाय का दस प्रतिशत होगी, संदाय किए जाने पर;

(ग) उपनियम 12 में यथा विनिर्दिष्ट कार्यपालन प्रतिभूति दिए जाने पर ;

(घ) खनन योजना की बाबत धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों का समाधान किए जाने पर, और

(ङ) ऐसी अन्य शर्तों का, जो राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विनिर्दिष्ट करें, समाधान किए जाने पर,

"सफल बोली लगाने वाला" माना जाएगा ।

(4) सफल बोली लगाने वाला, सभी सहमतियां, अनुमोदन अनुज्ञापत्र, अनापत्तियां और वैसे ही दस्तावेजों को जो खनन संक्रियाओं के प्रारंभ के लिए लागू विधियों के अधीन अपेक्षित हों, अभिप्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार के साथ खान विकास और उत्पादन करार पर हस्ताक्षर करेगा ।

(5) सफल बोली लगाने वाला खान विकास और उत्पादन करार के निष्पादन के पश्चात् तीसरी किश्त का संदाय करेगा जो अग्रिम संदाय का अस्सी प्रतिशत होगी और ऐसे संदाय किए जाने पर राज्य सरकार सफल बोली लगाने वाले को खनन पट्टा अनुदत्त करेगी ।

(6) राज्य सरकार द्वारा उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन किए जाने की तारीख के तीस दिन के भीतर खनन पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा और यह अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्ययधीन होगा ।

(7) खनन पट्टा ऐसे खनिजों के लिए होगा जो नीलामी के पहले खोज के अनुसरण में किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं :

परंतु जहां नीलामी के पश्चात् किसी नवीन खनिज का पता चलता है वहां खनन पट्टे का धारक, खनन पट्टा विलेख में ऐसे नवीन खनिज को जोड़ने के लिए खनिज रियायत नियम, 1960 के उपबंधों का अनुसरण करेगा ।

(8) जहां नीलामी से पहले या नीलामी के पश्चात् लघु खनिज की मौजूदगी स्थापित हो जाती है या उसका पता चलता है वहां ऐसे लघु खनिजों पर ऐसे नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा जो धारा 15 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएं ।

(9) ऐसी तारीख, जिसको खनन पट्टा विलेख सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, खनन पट्टे के प्रारंभ होने की तारीख होगी ।

11. खनन पट्टे के लिए अग्रिम संदाय :--

(1) ऐसी रकम जो अनुमानित साधनों के मूल्य के 0.50 प्रतिशत के बराबर है "अग्रिम संदाय" होगी ।

(2) राज्य सरकार को अग्रिम संदाय निविदा दस्तावेज में यथाविनिर्दिष्ट दस प्रतिशत ; दस प्रतिशत; और अस्सी प्रतिशत की तीन किश्तों में संदेय होगा और निविदा दस्तावेज में, यथाविनिर्दिष्ट खनिज का उत्पादन प्रारंभ होने के पहले पांच वर्ष के भीतर नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन संदत्त रकम के विरूद्ध पूर्ण समायोजन किया जाएगा ।

12. खनन पट्टे के लिए कार्यपालन प्रतिभूति -- (1) सफल बोली लगाने वाला अनुमानित साधनों के मूल्य की 0.50 प्रतिशत रकम का अग्रिम संदाय कराने के लिए कार्यपालन प्रतिभूति देगा और कार्यपालन प्रतिभूति प्रत्येक पांच वर्ष में समायोजित की जाएगी जिससे उसे अनुमानित साधनों के पुन:र्निधारित मूल्य का 0.50 प्रतिशत के तत्समान बनाए रखा जा सके ।

(2) अनुसूची 3 में यथाविनिर्दिष्ट रूप विधान में बैंक गारंटी के माध्यम से या प्रतिभूति निक्षेपों के माध्यम से दी गई कार्यपालन प्रतिभूति को, --

(i) खान विकास और उत्पादन करार के ; और

(ii) खनन पट्टा विलेख के ;

उपबंधों के अनुसार बनाया जा सकेगा ।

13. खनन पट्टे के अधीन भुगतान (1) पट्टेदार, राज्य सरकार को अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथाविनिर्दिष्ट स्वामिस्वों और अनिवार्य भाटक का संदाय करेगा

(2) पट्टेदार, राज्य सरकार को मासिक आधार पर नियम 8 के अधीन उद्धृत लागू रकम का संदाय करेगा ।

(3) पट्टेदार ऐसी रकमों का, जो अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो निम्नलिखित में अभिदाय करेगा,–

(i) राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के अभिहित खाते में ;

(ii) जिला खनिज प्रतिष्ठान के अभिहित खाते में ।

(4) पट्टेदार, ऐसे संबंधित प्राधिकारियों को ऐसी अन्य रकमों का भी संदाय करेगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित हो ।

14. ब्याज का संदाय –राज्य सरकार, इन नियमों के अधीन राज्य सरकार को देय किसी ऐसे संदाय पर, जिसके संदाय में उसकी देय होने की तारीख से साठ दिन का विलंब हुआ है, चौबीस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रभारित करेगी ।

15. समयावधि -- नियम 10 से नियम 14 की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए समयावधि निविदा दस्तावेज में यथाविनिर्दिष्ट होगी ।

अध्याय 3
समेकित अनुज्ञप्ति का दिया जाना

16. समेकित अनुज्ञप्ति की नीलामी के लिए पूर्व अध्यपेक्षाएं –(1) राज्य सरकार अधिनियम और इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार और इस शर्त के अधीन रहते हुए कि खनिज (खनिज पदार्थों का साक्ष्य) नियम, 2015 के नियम 7 के उपनियम (1) की अपेक्षाओं का समाधान हो गया है, राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की बाबत समेकित अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए नीलामी प्रक्रिया आरंभ कर सकेगी ।

IndiaCode

परंतु अधिसूचित खनिज की बाबत नीलामी की दशा में केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा ।

(2) राज्य सरकार, नीलामी की बाबत निविदा आमंत्रित करने की सूचना जारी करने के पूर्व ऐसे क्षेत्र की पहचान और सीमांकन करेगी जहां कुल स्थानन और भिन्न-भिन्न वैश्विक अवस्थानन प्रणाली का प्रयोग करके नीलामी के माध्यम से समेकित अनुज्ञप्ति का अनुदत्त किया जाना प्रस्तावित है और इस प्रकार सीमांकित क्षेत्र को वन भूमि, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन भूमि और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन न आने वाली भूमि के रूप में, वर्गीकृत किया जाएगा ।

17. समेकित अनुज्ञप्ति के लिए नीलामी (1) नियम 6 से नियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट नीलामी प्रक्रिया निम्नलिखित के अधीन रहते हुए समेकित अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने हेतु नीलामी का संचालन करने को लागू होगी, अर्थात् –

(क) राज्य सरकार अंतिम उपयोग के आधार पर कोई आरक्षण नहीं करेगी ;

(ख) राज्य सरकार, नियम 16 के पालन के अधीन रहते हुए, निविदा प्रक्रिया आरंभ किए जाने के लिए निविदा आमंत्रित करते हुए सूचना जारी करेगी, जिसके अंतर्गत उसकी वेबसाइट भी है, और ऐसी सूचना में निविदा के अंतर्गत आने वाली क्षेत्र से संबंधित संक्षिप्त विशिष्टयां अंतर्विष्ट होंगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं –

(i) कुल स्थानन और भिन्नक वैश्विक अवस्थानन प्रणाली का प्रयोग करके चिह्नाकित और सीमांकित क्षेत्र की, जिसे वनभूमि, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन भूमि और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन न आने वाली भूमि के रूप में विभाजित किया जाएगा, विशिष्टयां; और

(ii) क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी खनिजों की बाबत अनुमानित खनिज साधनों और खनिज (खनिज पदार्थ साक्ष्य) नियम, 2015 के नियम 7 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के समाधानप्रद रूप में संक्षिप्त विशिष्टियां ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा,--

(i) खनिज (खनिज पदार्थ साक्ष्य) नियम, 2015 के अनुसरण में भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट जिसमें खोज के दौरान क्षेत्र में पता लगाए गए सभी खनिजों की विशिष्टियां और अनुमानित मात्रा विनिर्दिष्ट हो ;

(ii) कुल स्थान और भिन्नक वैश्विक अवस्थानन प्रणाली का प्रयोग करके पहचान किए गए और सीमांकित ऐसे क्षेत्र के, वनभूमि, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन भूमि और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन न आने वाली भूमि के रूप में विकसित किया गया हो, राजस्व सर्वेक्षण ब्यौरे,

(घ) बोली लगाने वालों के निविदा दस्तावेज का और ऐसी रिपोर्टों का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यथाविहित एक नियत अवधि दी जाएगी और बोली लगाने की प्रक्रिया ऐसी अवधि की समाप्ति पर आरंभ होगी ।

18. समेकित अनुज्ञप्ति का अनुदत्त किया जाना – (1) नीलामी प्रक्रिया पूरी होने पर अधिमानी बोली लगाने वाला नियम 19 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में कार्यपालन प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा और ऐसी कार्यपालन प्रतिभूति के प्राप्त होने पर राज्य सरकार अधिमानी बोली लगाने वाले को आशयपत्र जारी करेगी ।

(2) आशयपत्र प्राप्त होने पर अधिमानी बोली लगाने वाले को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर सफल बोली लगाने वाला समझा जाएगा, अर्थात् –

(क) पात्रता संबंधी सभी शर्तों का पालन ;

(ख) सभी सहमतियों, अनुमोदन, अनुज्ञापत्रों, अनापत्तियों और वैसे ही अन्य दस्तावेजों को जो पूर्वेक्षण संबंधी संक्रियाओं को प्रारंभ करने संबंधी लागू विधियों के अधीन अपेक्षित हों, अभिप्राप्त करना ; और

(ग) पूर्वेक्षण की स्कीम प्रस्तुत करना ।

(3) उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर राज्य सरकार सफल बोली लगाने वाले को एक समेकित अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगी और ऐसी समेकित अनुज्ञप्ति अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए होगी जो पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और खनन पट्टे को लागू हो ।

(4) समेकित अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए न्यूतम क्षेत्र ऐसे न्यूतम क्षेत्र से कम नहीं होगा जिसके लिए खनिज रियायत नियम 1960 के उपबंधों के अनुसार अनुदत्त की जा सकती है और अधिकतम क्षेत्र पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति को यथा लागू नियम 6 के अनुसार होगा ।

(5) समेकित अनुज्ञप्ति का धारक, समेकित अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र में भू-वैज्ञानिक खोज का संचालन करेगा जिससे खनिज पदार्थों का साक्ष्य सुनिश्चित किया जा सके और अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए ऐसे नियमों के अनुसार जो पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति को लागू होते हैं, कालिक रिर्पोट प्रस्तुत करेगा और समेकित अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र के भू-सर्वेक्षण खोज से संबंधित सभी रिपोर्टें, अध्ययन और अन्य दस्तावेज राज्य सरकार और भारतीय खान ब्यूरो को प्रस्तुत की जाएगी ।

(6) यदि समेकित अनुज्ञप्ति का धारक, --

(क) धारा 11 की उपधारा (9) के अनुसार पूर्वेक्षण संक्रियाओं को पूरा करने में असफल रहता है या धारा 11 की उपधारा (10) और खनिज (खनिज पदार्थों का साक्ष्य) नियम, 2015 के अनुसार खनिज पदार्थों की विद्यमानता को स्थापित करने में असफल रहता है तो ऐसा धारक खनन पट्टा प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा और समेकित अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाएगी ;

(ख) खनिज (खनिज पदार्थों का साक्ष्य) नियम, 2015 के अनुरूप खनिज पदार्थों के साक्ष्य का अवधारण करने के परिणामस्वरूप धारा 11 की उपधारा (9) के अनुसार पूर्वेक्षण संक्रियाओं को पूरा कर लेता है तो ऐसा धारक राज्य सरकार को पहली किश्त, जो अग्रिम संदाय का दस प्रतिशत होगी, के साथ खनन अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए आवेदन करेगा ।

परंतु खनन पट्टा केवल ऐसे क्षेत्र की बाबत अनुदत्त किया जाएगा जिसके लिए खनिज पदार्थों का साक्ष्य पाया गया है और यह ऐसे अधिकतम क्षेत्र अधिक क्षेत्र नहीं होगा जिसके लिए अधिनियम के अधीन खनन पट्टा अनुदत्त किया जाएगा ।

परंतु यह और कि मिश्रित अनुज्ञप्ति के किसी धारक द्वारा कोई अतिरिक्त क्षेत्र इसमें सुधार होने के पश्चात् अभ्यर्पित समझा जाएगा;

(7) सम्यक् रूप से पूरा पट्टा आवेदन और उपनियम (6) के खंड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट अग्रिम संदाय की पहली किश्त के प्राप्त होने पर राज्य सरकार खनन पट्टे के लिए आशय पत्र जारी करेगी ।

(8) खनन विकास और उत्पादन करार राज्य सरकार और समेकित अनुज्ञप्ति के धारक के बीच निष्पादित किया जाएगा, यदि समेकित अनुज्ञप्ति का धारक –

(क) पात्रता के निबंधनों और शर्तों का पालन करना जारी रखता है ;

(ख) अग्रिम संदाय का दस प्रतिशत दूसरी किश्त संदत्त करता है;

(ग) नियम 19 के उपनियम (2) में यथाविर्निदिष्ट बढ़ी हुई निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करता है;

(घ) खान योजना के संबंध में धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) में विर्निदिष्ट शर्तों को पूर्ण करता है;

(ड़) खान प्रचालनों को प्रारंभ करने के लिए लागू विधियों के अधीन यथाअपेक्षित सभी सहमतियां, अनुमोदन, अनुज्ञप्तियां, अनापत्तियां और समरूप प्राप्त करता है; और

(च) ऐसी अन्य शर्तें पूर्ण करता है जो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा विर्निदिष्ट की जाएं ।

(9) मिश्रित अनुज्ञप्ति का धारक, खान विकास उत्पादन करार के कार्यकरण के पश्चात् अग्रिम संदाय का अस्सी

प्रतिशत तीसरी किश्त संदत्त करेगा तथा ऐसे संदाय पर राज्य सरकार उपनियम (8) में विर्निदिष्ट सभी शर्तों को पूर्ण करने की तारीख के तीस दिन के भीतर मिश्रित अनुज्ञप्ति के धारक के साथ खान पट्टा विलेख करेगी ।

(10) खान पट्टा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गऐ नियमों के उपबंधों के अधीन होगा ।

(11) खान पट्टा नीलामी के पूर्व खोज के अनुसरण में क्षेत्र में पाए गए खनिजों के लिए होगा ।

परंतु यह कि नीलामी के पश्चात् किसी नए खनिज की खोज होती है तो खान पट्टे का धारक खान पट्टा विलेख में ऐसे नए खनिज को सम्मिलित करने के लिए खनिज रियायत नियम, 1960 के उपबंधों का अनुसरण करेगा ।

(12) जहां नीलामी के पहले या नीलामी के पश्चात् गौण खनिज की उपस्थिति प्रमाणित होती है या उसकी खोज होती है तो ऐसा गौण खनिज, धारा 15 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे नियमों के अनुसार व्यवहार किए जाएंगे ।

(13) वह तारीख जिसको सम्यक् रूप से निष्पादित खान पट्टा विलेख रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, खान पट्टा प्रारंभ होने की तारीख होगी ।

19. मिश्रित अनुज्ञप्ति के लिए निष्पादन प्रतिभूति-- (1) प्राक्कलित संसाधन के मूल्य के 0.25 % की रकम मिश्रित अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व निष्पादन प्रतिभूति के रूप में अधिमानी नीलामीकर्ता द्वारा संदेय होगी ।

(2) खान पट्टा जारी करने से पूर्व निष्पादन प्रतिभूति की रकम प्राक्कलित संसाधनों के मूल्य के 0.50 % की रकम होगी ।

(3) उपनियम (2) के अधीन निष्पादन प्रतिभूति प्रत्येक पांच वर्ष में समायोजित की जाएगी ताकि वह प्राक्कलित संसाधन के पुन: र्निधारित मूल्य के 0.50 % के तत्स्थानी बनी रहे ।

(4) निष्पादन प्रतिभूति निम्न के उपबंधों के अनुसार अवलंब ली जा सकेगी,--

(i) खान विकास और उत्पादन करार; और

(ii) खान पट्टा विलेख ।

अध्याय 4:
प्रकीर्ण

20. प्रकट भूलों को सुधारने की शक्ति– सरकार या इन नियमों के अधीन किसी प्राधिकारी और अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश में किसी लिपिकीय या गणितीय भूल और आकस्मिक चूक या लोप में उदभूत् किसी गलती को, यथास्थिति, सरकार, संबंधित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा ठीक किया जा सकेगा :

परंतु ऐसा कोई भूल सुधार आदेश, जो किसी व्यक्ति के प्रतिकूल हो, तब तक नहीं पारित किया जाएगा जब तक की उस व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

21. अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में विर्निदिष्ट खनिजों से संबंधित विशेष उपबंध—(1) इन नियमों में अंतविर्ष्ट किसी बात के होते हुए भी--

(क) यदि मिश्रित अनुज्ञप्ति या खनिज पट्टा का धारक ऐसे अनुज्ञप्ति या पट्टे के अधीन अनुदत्त क्षेत्र में, अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में विर्निदिष्ट ऐसे किसी खनिज की खोज करता है, जो अनुज्ञप्ति या पट्टे में विर्निदिष्ट नहीं है, तो ऐसे खनिज की खोज को, ऐसे खनिज की खोज की तारीख से साठ दिन के भीतर निदेशक, परमाण्विक खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद को रिपोर्ट किया जाएगा;

(ख) अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में विर्निदिष्ट खनिज का उपार्जन या निपटान नहीं करेगा यदि इस प्रयोजन के लिए प्राप्त अनुज्ञप्ति या पट्टे अथवा पृथक अनुज्ञप्ति या पट्टे में ऐसा खनिज सम्मिलित नहीं किया जाता है;

(ग) ऐसी पूर्वेक्षण और खनन सक्रियाओं के आनुषंगिक रूप में अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में सूचीबद्ध खनिजों की मात्राएं पृथक रूप से संगृहीत और चट्टा लगाई जाएंगी और अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी द्वारा ऐसी और कार्रवाई के लिए प्रत्येक मास इस बारे में एक रिपोर्ट निदेशक परमाण्विक खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद को भेजी जाएगी, जैसा परमाणु खोज और अनुसंधान खनिज निदेशालय को निदेशित किया जाए ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी परमाणु उर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में विर्निदिष्ट किसी खनिज का पता लगने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त खनिजों की अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से सचिव, परमाणु उर्जा विभाग, मुंबई को आवेदन करेगा और परमाणु उर्जा विभाग इस बारे में अनुज्ञप्ति जारी करने के संबंध में राज्य सरकार को सूचित करेगा ।

22. खोज की बाध्यता—खान पट्टे का धारक विस्तृत खोज (जी 1 स्तरीय खोज) को पूर्ण करेगा तथा ऐसे खोज पट्टे के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर खनन पट्टे के अधीन संपूर्ण क्षेत्र पर खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के भाग 4 और भाग 5 के अनुरूप विस्तृत साध्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा ।

IndiaCode

अनुसूची 1
पात्रता की निबंधन और शर्तें
[नियम 6(1) और 6(2) देखिए]

1. निम्नलिखित शुद्ध मूल्य अपेक्षाएं प्राक्कलित संसाधनों के मूल्य पर निर्भर करते हुए खान पट्टे की नीलामी के लिए लागू होंगी,--

(क) यदि प्राक्कलित संसाधनों का मूल्य 25 करोड़ रुपये से अधिक है तो आवेदक, जिसके अंतर्गत व्यष्टिक भी है, के पास प्राक्कलित संसाधनों के मूल्य के 4% से अधिक शुद्ध मूल्य होगा ।

(ख) यदि प्राक्कलित संसाधनों का मूल्य 25 करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर है तो आवेदक, जिसके अंतर्गत व्यष्टिक भी है, के पास प्राक्कलित संसाधनों के मूल्य के 2% से अधिक शुद्ध मूल्य होगा ।

(ग) यदि प्राक्कलित संसाधनों का मूल्य 25 करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर है तो, आवेदक, जो व्यष्टि है, के पास प्राक्कलित संसाधनों के मूल्य का 1% न्यूनतम शुद्ध मूल्य होगा ।

2. मिश्रित अनुज्ञप्ति की नीलामी के मामले में, आवेदक के पास प्राक्कलित संसाधनों के मूल्य का 1% से अधिक शुद्ध मूल्य होगा ।

स्पष्टीकरण:

(1) यदि आवेदक भारत में निगमित किसी अन्य कंपनी का अनुषंगी है तो ऐस धृति कंपनी का शुद्ध मूल्य भी विचार में लिया जा सकेगा ।

परंतु ऐसे मामले में आवेदक ऐसी धृति कंपनी का अनुषंगी बना रहना चाहिए, जब तक कि आवेदक ऊपर वर्णित शुद्ध मूल्य सीमा तक न पहुंचे ।

(2) कंपनी के मामले में, शुद्ध मूल्य संदत्त शेयर पूंजी और मुक्त आरक्षिति का सकल होगा जैसा कि ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संपरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार है ।

(3) किसी व्यष्टि के मामले में, शुद्ध मूल्य आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को बंद नकद बकाया होगा और ऐसी रकम में अनुसूचित बैंक/डाकघर में बचत बैंक खाता में रकम, अनुसूचित बैंको, डाकघर, सूचीबद्ध कंपनियों/सरकारी संगठन राज्यय और केन्द्रीय सरकार के पब्लिक सेक्टर उपक्रम में मुक्त और अविल्लंगमित नियत जमा, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, बंधपत्र, सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर, सूचीबद्ध पारस्परिक निधियां, यूनिट संबंद्ध बीमा योजना, लोक भविष्य निधि, आवेदक के नाम पर जीवन बीमा पालिसियों का अभ्यर्पण मूल्य सम्मिलित हो सकेगा ।

अनुसूची 2

विर्निदिष्ट अंतिम उपयोग की सूचक सूची

(नियम 6(3)देखिए)

क्र0 सं0	**खनिज/अयस्क**	**अंतिम उपयोग**
1	बॉक्साइट	एलुमिना रिफाइनरी
2	लौह अयस्क	एकीकृत इस्पात संयंत्र
3	चूना पत्थर	सीमेंट संयंत्र

अनुसूची 3

निष्पादनसुरक्षा का प्रारूप

(नियम 12(2) देखिए)

[बैंक की संदर्भ सं.] [तारीख]

सेवा में,

राज्यपाल (राज्य का नाम)

(पता)

क. कंपनी अधिनियम के अधीन भारत में निगमित **(सफल बोलीदाता का नाम),** कॉरपोरेट पहचान संख्या (सफल बोलीदाता का सीआईएन) सहित, जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता), भारत है और कारोबार काप्रमुख स्थान (कारोबार के प्रमुख स्थान का पता, यदि रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से भिन्न हो) **("सफल बोली दाता")** है को (बैंक निष्पादन गारंटी की समाप्ति की तारीख) **("समाप्ति तारीख")** तक वैधसुरक्षा निष्पादन के तौर पर आईएनआर (आंकड़े) [भारतीय रूपए (शब्दों में)] के समान रकम के लिए शर्तविहीन एवं अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति देना आवश्यक है ।

ख. राज्य और सफल बोलीदाता **(संयुक्त रूप से "समझौता")**के बीच निष्पादित किया जाने वाला खान विकास और उत्पादन करार और नीलामी (नीलामी का विवरण) के संबंध में (तारीख), की तारीख केटेंडर दस्तावेज के तहत कुछ बाध्यताओं की पूर्ति हेतु सरक्षा निष्पादन **राज्यपाल (राज्य का नाम), ("राज्य")** को प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

ग. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर यह बैंक, **(बैंक का नाम) ("बैंक")** इसमें अंतर्विष्ट निबंधनों एवं शर्तों पर राज्य की मांग पर करार के अधीन सफल बोलीदाताकी बाध्यताओं को सुरक्षित रखने हेतु आईएनआर (आंकड़े) (भारतीय रूपए (शब्दों में) **("प्रत्याभूतिरकम")** तक की रकमराज्य को संदाय करने का वचन देती है । **अत: अब,**बैंक यहां सेराज्य के पक्ष में गारंटी मात्रा में सफल बोलीदाता की ओर से यह अप्रतिसंहरणीय और शर्त रहित संदाय बैंक प्रत्याभूति **("प्रत्याभूति")** राज्य केपक्ष में जारी करती है :

1. बैंक इस उद्देश्य से राज्य से प्राप्त प्रथम लिखित मांग की प्राप्ति पर तत्काल राज्य को उसमें विनिर्दिष्ट राशि हेतुऐसी मांग के लिए राज्य द्वारा बैंक वजहों अथवा कारणों को दर्शाने अथवा साबित करने की राज्य की आवश्यकता के बिना और किसी भी मामले पर राज्य और सफल बोलीदाता केमध्य किसी विवाद अथवा मतभेद के बावजूद वह राशि अथवा राशियां (एक अथवा अधिक दावों के माध्यम से) जो कि कुल की प्रत्याभूति मात्रा से अधिक न हो, बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, केवियट, विरोध अथवा आश्रय के बिना शर्त रहित तथा स्थायी तौर पर संदाय करने का वचन देता है । संपूर्ण और स्पष्ट होने के तहत बैंक के दायित्वों के संबंध में किसी न्यायालय अथवाअधिकरण के समक्ष लंबित किसी मामले अथवा कार्यवाही में सफल बोलीदाता द्वारा उत्पन्न किसी विवाद अथवा विवादों के होते हुए भी मांगी गई राशि का संदाय राज्य को करने का वचन देता है ।

2. बैंक यह स्वीकारता है कि राज्य को बैंक द्वारा संदाय की जाने वाली रकम की राज्य द्वारा ऐसी कोई भी मांग करार के अधीन राज्य को सफल बोलीदाता द्वारा संदाय की जाने वाली रकम के संबंध में अंतिम, बाध्यकारी और निर्णायक प्रमाण होगा ।

3. बैंक इसके द्वारा राज्य की उपर्युक्त राशि अथवा सफल बोलीदाता से उसके किसी अंश की मांग की आवश्यकता को हटाता है और साथ ही इस प्रत्याभूति के अधीन संदाय हेतु बैंक की किसी लिखित मांग को प्रस्तुत करने से पूर्व सफल बोलीदाता के विरूद्ध अपने विधिक उपचार का राज्य द्वारा अपनाने को आवश्यक बनाने के बैंक के किसी अधिकार को भी हटाता है ।

4. इसके अतिरिक्त बैंक बिना किसी शर्त के राज्य से सहमति रखता है कि राज्य को छूट होगी कि, बिना बैंक की सहमति के और इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक के किसी दायित्व को किसी रूप में प्रभावित किए बिना, समय-समय पर :

 (i) भिन्न होगा और/अथवा करार के निबंधनों और शर्तों को उपांतरित करेगा;

 (ii) विस्तृत करेगा और/अथवा करार के अधीन सफल बोलीदाता के कर्तव्यों के निष्पादन हेतु समय को स्थगित करेगा, अथवा

 (iii) करार के निबंधनों और शर्तों के अधीन सफल बोलीदाता के विरूद्ध राज्य द्वारा अपनाए जाने वाले किसी अधिकारों से प्रविरत रहना अथवा प्रवृत्त करना ।

 और बैंक को ऐसे किसी कृत्य के कारण अथवा राज्य की ओर से हुए लोप अथवा सफल बोलीदाता के राज्य द्वारा किसी अनुग्रह अथवा किसी अन्य कारण जो प्रतिभूतियों से संबंधित नियम के अधीन बैंक को उसके कर्तव्यों से मुक्त नहीं करेगा बल्कि इस उपबंध हेतु, इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक को उसके कर्तव्यों से मुक्त करने का प्रभाव होगा।

5. इसके तहत किया गया कोई भी संदाय किसी वर्तमान एवं भविष्य कर, उद्ग्रहन, इमपोस्ट, शुल्क, प्रभारों, फीस, कमीशनों, कटौतियों अथवा किसी भी प्रकृति की रोकों, के कारण से, किसी कटौतियों से मुक्त होगा ।

6. बैंक सहमति देता है कि राज्य अपने विकल्प पर सफल बोलीदाता के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कार्यवाही के बिना प्रथम दृष्टांत में प्रमुख ऋणदाता के तौर पर, बैंक के विरूद्ध इस प्रत्याभूति को लागू करने का हकदार होगा ।

7. बैंक और सहमति देता है कि इसमें निहित प्रत्याभूति, करार में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान पूरी तरह प्रभाव में एवं लागू रहेगी और यह कि यह तब तक लागू रहेगा जब तक सफल बोलीदाता के सुरक्षा निष्पादन के

संबंध में कथित करार के आधार पर अथवा उसके अधीन सभी कर्तव्यों की पूरी तरह पूर्ति नहीं हो जाती और उसके दावों की संतुष्टि अथवा पूर्ति या जब तक राज्य यह प्रमाणित नहीं करता कि सुरक्षा निष्पादन के संबंध में अनुबंध की नियम एवं शर्तों का पूरी तरह एवं उचित रूप में सफल बोलीदाता द्वारा पालन किया गया है और तदनुसार इस प्रत्याभूति का निर्वहन किया गया है। इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब तक समाप्ति की तारीख तक अथवा उसके पूर्व लिखित में बैंक पर इस प्रत्याभूति के अधीन कोई मांग अथवा दावा नहीं पेश किया जाता बैंक को तदनंतर इस प्रत्याभूति के अधीन सभी दायित्वों से मुक्त रखा जाएगा।

8. इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक द्वारा कियागया संदाय इस आधार पर संदाय हेतु बैंक के दायित्वों की वैध पूर्ति मानी जाएगी और राज्य ऐसा संदाय करने के लिए बैंक के विरूद्ध कोई दावा पेश नहीं कर पाएगा।

9. यह प्रत्याभूति भारत की विधि के अधीन है ।इस प्रत्याभूति अथवा इसकी विषय वस्तु के कारण राज्य में (संबंधित राज्य) उत्पन्न किसी वाद, कार्रवाई अथवा अन्य कार्रवाई दिल्ली के न्यायालयों के विशेष अधिकार क्षेत्र के अधीन होगी।

10. बैंक के पास इस प्रत्याभूति को राज्य केपक्ष में जारी करने का अधिकार है। इस प्रत्याभूति का बैंक के गठन में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्वहन नहीं किया जा सकेगा।

11. बैंक लिखित में राज्य की पूर्व सहमति के अलावा इस प्रत्याभूति को इसके जारी के दौरान प्रति संहरन ने करने का वचनबद्ध है।

12. राज्य, बैंक को पूर्व सूचना द्वारा, किसी अन्य विभागों, मंत्रालयों अथवा अन्य सरकारी एजेंसियों को इस प्रत्याभूति के अधीन अधिकार दे सकेगा, जो राज्यपाल के नाम पर लागू होंगे। खंड-12 में उपबंधित के सिवाय, यह प्रत्याभूति समनुदेशनीय अथवा हस्तांतरणीय नहीं होगी।

13. इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,

 क. इस बैंक प्रत्याभूति के अधीन बैंक का दायित्व प्रत्याभूति रकम से अधिक नहीं होगा।

 ख. यह बैंक प्रत्याभूति समाप्ति की तारीख तक मान्य होगी।

14. बैंक इस बैंक प्रत्याभूति के अधीन प्रत्याभूति की रकम अथवा उसके किसी अंश के संदाय का केवल सिर्फ और केवल तभी उत्तरदायी है यदि राज्य समाप्ति तारीख को अथवा उसके पूर्व बैंक को लिखित दावा अथवा मांग पेश करता है।

तारीख (दिवस) को बैंक हेतु (महीने) (वर्ष) का दिन

गवाही में जिसके बैंक ने, अपने प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा, अपना हस्ताक्षर और मोहर किया है।

(हस्ताक्षर)

(नाम और पद)

(बैंक का मोहर)

[फा. सं. 1/11/2015-M.VI (Part I)]

आर. श्रीधरन, अपर सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, 20th May, 2015

G.S.R. 406(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Mineral (Auction) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "**Act**" means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957);

(b) "**Composite Licence"** means prospecting licence-cum-mining lease granted under rule 18;

(c) "**Mine Development and Production Agreement**" means the agreement referred to in sub-rule (4) of rule 10 or sub-rule (8) of rule 18;

(d) "**preferred bidder**" means the bidder referred to in sub-clause (iii) of clause (b) of sub-rule (4) of rule 9;

(e) "**qualified bidders**" means the bidder referred to in sub-clause (iv) of clause (a) of sub-rule (4) of rule 9;

(f) "**reserve price**" means the minimum percentage of value of mineral despatched as referred to in sub-rule (1) of rule 8;

(g) "**section**" means section of the Act;

(h) "**Schedule**" means a Schedule appended to these rules;

(i) "**successful bidder**" means the bidder as referred to in sub-rule (3) of rule 10 or sub-rule (2) of rule 18;

(j) "**technically qualified bidders**" means the bidder as referred to in sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (4) of rule 9;

(k) "**tender document**" means the tender document issued by a State Government for conduct of an auction referred to in sub-rule (2) of rule 9;

(l) "**upfront payment**" means the payment referred to in sub-rule (1) of rule 11;

(m) "**value of estimated resources**" means an amount equal to the product of, -

(i) the estimated quantity of mineral resources for which the mineral block is being auctioned, expressed in metric tonne; and

(ii) the average price per metric tonne of such mineral as published by Indian Bureau of Mines for the relevant State for a period of twelve months immediately preceding the month of computation of the Value of Estimated Resources; and

(n) "**value of mineral despatched**" shall have the meaning specified in sub-rule (2) of rule 8.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined herein shall have the same meaning as assigned to them in the Act or rules made thereunder.

3. **Application.-** These rules shall apply to all minerals, except minerals notified as minor minerals specified in clause (e) of section 3 and minerals specified in Part A and Part B of the First Schedule to the Act.

4. **Grant of concession.-** (1) Where mineral contents of an area has been established as specified in the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, mining lease shall be granted in the manner specified under Chapter II with respect to any notified minerals referred to in sub-section (3) of section 10B or with respect to any minerals other than notified minerals referred to in sub-section (2) of section 11.

(2) A Composite Licence with respect to an area where requirements specified in rule 7 of the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 have been satisfied, shall be granted in the manner specified under Chapter III with respect to any notified minerals referred to in sub-section (2) of section 10B or with respect to any minerals other than notified minerals referred to in sub-section (3) of section 11.

IndiaCode

CHAPTER II

GRANT OF MINING LEASE

5. **Prerequisites for auction of Mining Lease.-** (1) The State Government may initiate an auction process for grant of a mining lease with respect to an area within the State if the mineral contents in such area has been established in accordance with the provisions of the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015.

(2) The State Government shall, prior to issuance of the notice inviting tender with respect to mineral auction, identify and demarcate the area where a mining lease is proposed to be granted through auction by using total station and differential global positioning system and the area so demarcated shall be classified into forests land, land owned by the State Government and land not owned by the State Government.

(3) The extent of area so demarcated shall include area required for all the activities falling under the definition of 'mine' as defined in clause (j) of sub-section (1) of section 2 of the Mines Act 1952 (35 of 1952).

6. **Eligibility for Mining Lease.**- (1) For the purpose of participating in the auction of mining lease, an applicant shall meet the requirements as specified in section 5 and the terms and conditions of eligibility as specified in Schedule I.

(2) The State Government may having regard to article 244 and the Fifth Schedule and Sixth Schedule to the Constitution, the provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (40 of 1996); and the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), make such amendments to Schedule I as it may deem necessary.

(3) The powers of Central Government under the proviso to sub-section (6) of section 10B shall be exercised by the State Government for reservation of particular mine or mines for any particular end use including the end use as specified in Schedule II and the State Government may earmark certain percentage of mines for end use.

(4) Where the State Government reserves a mine or mines for any particular specified end use, the minerals extracted under the mining lease shall, -

(i) be utilised solely for the specified end use; and

(ii) not be sold or transferred or otherwise disposed of, either directly or indirectly.

(5) The eligibility for participating in the auction shall be determined as per the terms and conditions of eligibility for participating in the auction and the Successful Bidder shall be decided solely on the basis of financial bids submitted by the eligible bidders.

7. **Electronic Auction.**- (1) An auction shall be conducted only through an online electronic auction platform.

(2) The State Government may utilise any online electronic auction platform which meets the minimum technical and security requirements as specified in the Guidelines for compliance to Quality requirements of e-Procurement Systems issued by the Standardisation Testing and Quality Certification Directorate, Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India.

8. **Bidding parameters.-** (1) The State Government shall specify in the tender document the minimum percentage of the value of mineral despatched, which shall be known as the "reserve price".

(2) The value of mineral despatched shall be an amount equal to the product of,-

(i) mineral despatched in a month; and

(ii) sale price of the mineral (grade-wise and State-wise) as published by Indian Bureau of Mines for such month of despatch.

(3) The bidders shall quote, as per the bidding parameter, for the purpose of payment to the State Government, a percentage of value of mineral despatched equal to or above the reserve price and the successful bidder shall pay to the State Government, an amount equal to the product of,-

(i) percentage so quoted; and

(ii) value of mineral despatched.

(4) Where an area is being auctioned for more than one mineral, the percentage of value of mineral despatched as quoted by the successful bidder under sub-rule (3) shall be applicable for the purpose of payment to the State Government in respect of each such mineral.

(5) If subsequent to grant of a mining lease, one or more new minerals are discovered, the percentage of value of mineral despatched as quoted by the successful bidder under sub-rule (3) shall be applicable for the purpose of payment to the State Government in respect of each such mineral.

IndiaCode

9. Bidding Process.- (1) Subject to the provisions of rule 5, the State Government shall issue a notice inviting tender, including on their website, to commence the auction process and such notice shall contain brief particulars regarding the area under auction, including,-

(a) particulars of the area identified and demarcated using total station and differential global positioning system divided into forest land, land owned by the State Government, and land not owned by the State Government; and

(b) estimated mineral resources and brief particulars regarding evidence of mineral contents with respect to all minerals discovered in the area during exploration in accordance with the provisions of the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015.

(2) The tender document issued by the State Government shall contain,-

(a) geological report pursuant to the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 specifying particulars and estimated quantities of all minerals discovered in the area; and

(b) revenue survey details of the area identified and demarcated using total station and differential global positioning system divided into forest land, land owned by the State Government, and land not owned by the State Government.

(3) The bidders shall be provided a fixed period, as notified by the State Government, to study the tender document and such reports and the bidding process shall commence only on expiry of such period.

(4) The auction shall be an ascending forward online electronic auction and shall comprise of the following rounds, namely:-

(a) First Round of Auction to be held in the following manner, namely:-

(i) the bidders shall submit -

(A) a technical bid comprising amongst others, documentary evidence to confirm eligibility as per the provisions of the Act and the rules made thereunder to participate in the auction, bid security and such other documents and payments as may be specified in the tender document; and

(B) an initial price offer which shall be a percentage of value of mineral despatched;

(ii) only those bidders who are found to be eligible in accordance with the terms and conditions of eligibility specified in rule 6 and whose initial price offer is equal to or greater than the reserve price, referred to as "technically qualified bidders", shall be considered for the second round of auction;

(iii) the highest initial price offer amongst the technically qualified bidders shall be the floor price for the second round of online electronic auction;

(iv) the technically qualified bidders shall be ranked on the basis of the descending initial price offer submitted by them and the technically qualified bidders holding the first fifty per cent. of the ranks (with any fraction rounded off to higher integer) or the top five technically qualified bidders, whichever is higher, shall qualify as qualified bidders for participating in the second round of electronic auction:

Provided that where the total number of technically qualified bidders is less than three, then no technically qualified bidder shall be considered to be qualified bidder and the auction process shall be annulled:

Provided further that the State Government may, in its discretion, decide not to annul the auction process if even in the third or subsequent attempt the total number of technically qualified bidders continues to be less than three and the State Government may, in such case, decide to consider the technically qualified bidders as qualified bidders so as to continue with the bidding process:

Provided also that if the number of technically qualified bidders is between three and five, then all the technically qualified bidders shall be considered as qualified bidders:

Provided also that in the event of identical initial price offers being submitted by two or more technically qualified bidders, all such technically qualified bidders shall be assigned the same rank for the purposes of determination of qualified bidders and in such case, the aforementioned fifty per cent. shall stand enhanced to fifty per cent. plus the number of technically qualified bidders, whose initial price offers are identical less the number of such identical initial price offers.

IndiaCode

Illustration:

In the event there are a total of ten technically qualified bidders, and each technically qualified bidder submits different initial price offer, then the technically qualified bidders holding the first fifty per cent. of ranks shall be considered to be qualified bidders.

If three such technically qualified bidders submit the same initial price offer and are ranked in first fifty per cent. of the total number of ranks, then, all the three technically qualified bidders shall be considered to be qualified bidders and the total number of qualified bidders shall stand increased by two.

(b) Second Round of Auction to be held in the following manner, namely:-

(i) the qualified bidders may submit their final price offer which shall be a percentage of value of mineral despatched and greater than the floor price:

Provided that the final price offer may be revised till the conclusion of the auction as per the technical specifications of the auction platform;

(ii) The auction process shall be annulled if none of the qualified bidders submits a final price offer on the online electronic auction platform;

(iii) the qualified bidder who submits the highest final price offer shall be declared as the "preferred bidder" immediately on conclusion of the auction.

10. Grant of Mining Lease.- (1) The preferred bidder shall submit the first instalment being ten per cent. of the upfront payment as per rule 11.

(2) Upon receipt of the first instalment of the upfront payment, the State Government shall issue a letter of intent to the preferred bidder.

(3) The preferred bidder shall be considered to be the "successful bidder" upon,-

(a) continuing to be in compliance with all the terms and conditions of eligibility;

(b) payment of the second instalment being ten per cent. of the upfront payment;

(c) furnishing performance security as specified in rule 12;

(d) satisfying the conditions specified in clause (b) of sub-section (2) of section 5 with respect to a mining plan; and

(e) satisfying such other conditions as may be specified by the State Government with the prior approval of the Central Government.

(4) The successful bidder shall sign the Mine Development and Production Agreement with the State Government upon obtaining all consents, approvals, permits, no-objections and the like as may be required under applicable laws for commencement of mining operations.

(5) The successful bidder shall pay the third instalment being eighty per cent. of the upfront payment subsequent to execution of the Mine Development and Production Agreement, and upon such payment the State Government shall grant a mining lease to the successful bidder.

(6) The Mining Lease Deed shall be executed by the State Government within thirty days of the date of completion of the conditions specified in sub-rule (5) and shall be subject to the provisions of the Act and the rules made thereunder.

(7) The mining lease shall be for minerals found in the area pursuant to exploration prior to the auction:

Provided that where, subsequent to the auction, any new mineral is discovered, then the holder of mining lease shall follow the provisions of the Mineral Concession Rules, 1960 for inclusion of such new mineral in the Mining Lease Deed.

(8) Where, prior to the auction or subsequent to the auction, presence of minor mineral is established or discovered, such minor minerals shall be dealt in accordance with such rules made by the State Government under section 15.

(9) The date on which a duly executed Mining Lease Deed is registered shall be the date of commencement of the mining lease.

11. Upfront payment for mining lease.- (1) An amount equal to 0.50% of the value of estimated resources shall be the upfront payment.

(2) The upfront payment shall be payable to the State Government in three instalments of ten per cent.; ten per cent.; and eighty per cent. as specified in the tender document and shall be adjusted in full against the amount paid under sub-rule (3) of rule 8 within the first five years of commencement of production of mineral as specified in the tender document.

IndiaCode

12. **Performance security for mining lease**.—(1) The successful bidder shall provide a performance security of an amount of 0.50% of the value of estimated resources and the performance security shall be adjusted every five years so that it continues to correspond to 0.50% of the reassessed value of estimated resources.

(2) The performance security provided through bank guarantee in the format as specified in Schedule III or through security deposit, may be invoked as per the provisions of –

(i) the Mine Development and Production Agreement; and

(ii) the Mining Lease Deed.

13. **Payments under mining lease.—**(1) The lessee shall pay royalties and dead rent to the State Government as specified in the Act and the rules made thereunder.

(2) The lessee shall pay the applicable amount quoted under rule 8 to the State Government on a monthly basis.

(3) The lessee shall contribute such amounts as may be required under the Act to -

(a) the designated account of the National Mineral Exploration Trust; and

(b) the designated account of the District Mineral Foundation.

(4) The lessee shall also pay such other amounts as may be required under any law for the time being in force to the concerned authorities.

14. **Payment of Interest.—**The State Government shall charge simple interest at the rate of twenty four per cent. per annum on any payment due to State Government under these rules the payment of which is delayed beyond sixty days from the due date thereof.

15. **Time Period**.—The time period for compliance of rules 10 to 14 shall be as specified in the tender document.

CHAPTER III

GRANT OF COMPOSITE LICENCE

16. **Prerequisites for auction of Composite Licence.—**(1) The State Government may initiate an auction process for grant of a Composite Licence with respect to an area within the State in accordance with the provisions of the Act and this Chapter subject to the condition that the requirements of rule 7 of the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 have been satisfied:

Provided that in case of an auction with respect to a notified mineral, prior approval of the Central Government shall be required.

(2) The State Government shall, prior to issuance of the notice inviting tender with respect to auction, identify and demarcate the area where a Composite Licence is proposed to be granted through auction using total station and differential global positioning system and the area so demarcated shall be classified into forests land, land owned by the State Government, and land not owned by the State Government.

17. **Auction for Composite Licence.—**(1) The auction process as specified in rules 6 to 9 shall be applicable for conduct of auction for grant of a Composite Licence subject to the following, namely:—

(a) the State Government shall not make any reservation on the basis of end use;

(b) the State Government shall subject to compliance of rule 16, issue a notice inviting tender, including on their website, to commence the auction process and such notice shall contain brief particulars regarding the area under auction, including,-

(i) particulars of the area identified and demarcated using total station and differential global positioning system divided into forest land, land owned by the State Government, and land not owned by the State Government; and

(ii) estimated mineral resources with respect to all minerals discovered in the area and brief particulars regarding satisfaction of the requirements specified in rule 7 of the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015;

(c) the tender document issued by the State Government, shall contain,—

(i) geological report specifying particulars and estimated quantities of all minerals discovered in the area during exploration pursuant to Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015; and

(ii) revenue survey details of the area identified, demarcated using total station and differential global positioning system divided into forest land, land owned by the State Government, and land not owned by the State Government;

IndiaCode

(d) the bidders shall be provided a fixed period, as prescribed by the State Government, to study the Tender Document and such reports and the bidding process shall commence only on expiry of such period.

18. Grant of Composite Licence.—(1) Upon completion of the auction process, the preferred bidder shall submit a performance security in the manner specified in sub-rule (1) of rule 19 and upon receipt of such performance security, the State Government shall issue a letter of intent to the preferred bidder.

(2) On receipt of the letter of intent the preferred bidder shall be considered to be the successful bidder upon fulfilment of the following conditions, namely:—

(a) compliance with all the terms and conditions of eligibility;

(b) obtaining all consents, approvals, permits, no-objections and the like as may be required under applicable laws for commencement of prospecting operations; and

(c) submitting the Scheme of prospecting.

(3) Upon fulfilment of the conditions specified in sub-rule (2), the State Government shall grant a Composite Licence to the successful bidder and such Composite Licence shall be subject to the provisions of the Act and the rules made thereunder, as applicable to a prospecting licence and mining lease.

(4) The minimum area for grant of a Composite Licence shall not be less than the minimum area for which a mining lease may be granted in accordance with the provisions of the Mineral Concession Rules, 1960 and the maximum area shall be in accordance with section 6 as applicable to a prospecting licence.

(5) The holder of a Composite Licence shall conduct geological exploration of the area under the Composite Licence so as to ascertain evidence of mineral contents and shall submit periodic reports in accordance with the Act and rules made thereunder, as applicable to a prospecting licence and all reports, studies and other documentation related to the geological exploration of the area under the Composite Licence shall be submitted to the State Government and Indian Bureau of Mines.

(6) If a holder of a Composite Licence,—

(a) fails to complete prospecting operations in accordance with sub-section (9) of section 11 or fails to establish the existence of mineral contents in accordance with sub-section (10) of section 11, and the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, such holder shall not be eligible to receive a mining lease and the Composite Licence shall be terminated;

(b) completes prospecting operations in accordance with sub-section (9) of section 11 resulting in determination of evidence of mineral contents conforming to the Mineral (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, such holder shall make an application to the State Government for grant of a mining lease accompanied with the first instalment, being ten per cent. of the upfront payment:

Provided that the mining lease shall be granted only with respect to the area for which evidence of mineral contents has been found and shall not be for an area larger than the maximum area for which a mining lease may be granted under the Act:

Provided further that any excess area shall be deemed to be surrendered by the holder of Composite Licence after completing its reclamation.

(7) Upon receipt of the duly completed mining lease application and the first instalment of the upfront payment as specified in clause (b) of sub-rule (6), the State Government shall issue a letter of intent for mining lease.

(8) A Mine Development and Production Agreement shall be executed between the State Government and the holder of Composite Licence if the holder of a Composite Licence—

(a) continues to comply with the terms and conditions of eligibility;

(b) pays the second instalment being ten per cent. of the upfront payment;

(c) furnishes the enhanced performance security as specified in sub-rule (2) of rule 19;

(d) satisfies the conditions specified in clause (b) of sub-section (2) of section 5 with respect to a mining plan;

(e) obtains all consents, approvals, permits, no-objections and the like as may be required under applicable laws for commencement of mining operations; and

(f) satisfies such other conditions as may be specified by the State Government with the prior approval of the Central Government.

(9) The holder of the Composite Licence shall pay the third instalment being eighty per cent. of the upfront payment, subsequent to execution of the Mine Development and Production Agreement, and upon such

payment, the State Government shall execute a Mining Lease Deed with the holder of the Composite Licence within thirty days of the date of completion of all the conditions specified in sub-rule (8).

(10) The mining lease shall be subject to the provisions of the Act and the rules made thereunder.

(11) The mining lease shall be for minerals found in the area pursuant to exploration prior to the auction:

Provided that where subsequent to the auction, any new mineral is discovered, then the holder of the mining lease shall follow the provisions of the Mineral Concession Rules, 1960 for inclusion of such new mineral in the Mining Lease Deed.

(12) Where prior to the auction or subsequent to the auction, presence of minor mineral is established or discovered, such minor minerals shall be dealt in accordance with such rules as may be made by the State Government under section 15.

(13) The date on which a duly executed Mining Lease Deed is registered shall be the date of commencement of the mining lease.

19. Performance Security for Composite Licence.—(1) An amount of 0.25% of the value of estimated resources shall be payable by the preferred bidder as performance security prior to the issuance of the Composite Licence.

(2) The amount of performance security shall be revised, prior to the issuance of the mining lease, to an amount of 0.50% of the value of estimated resources.

(3) The performance security provided under sub-rule (2) shall be adjusted every five years so that it continues to correspond to 0.50% of the reassessed value of estimated resources.

(4) The performance security may be invoked as per provisions of,-

(i) the Mine Development and Production Agreement; and

(ii) the Mining Lease Deed.

IndiaCode

CHAPTER IV

MISCELLANEOUS

20. Power to rectify apparent mistakes.—Any clerical or arithmetical mistake in any order passed by the Government or any authority or officer under these rules and any error arising therein due to accidental slip or omission, may be corrected by the Government, the concerned authority or officer, as the case may be:

Provided that no rectification order prejudicial to any person shall be passed unless such person has been given a reasonable opportunity of being heard.

21. Special provisions relating to minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act.—(1) Notwithstanding anything contained in these rules—

(a) if the holder of a Composite Licence or mining lease discovers any mineral specified in Part B of the First Schedule to the Act and not specified in such licence or lease, in the area granted under such licence or lease, the discovery of such mineral shall be reported to the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad within sixty days from the date of discovery of such mineral;

(b) the licencee or lessee shall not win or dispose of any mineral specified in Part B of the First Schedule to the Act unless such mineral is included in the licence or lease or a separate licence or lease for the purpose has been obtained;

(c) the quantities of any mineral specified in Part B of the First Schedule to the Act recovered incidental to such prospecting or mining operations shall be collected and stacked separately and a report to that effect shall be sent to the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad every month for such further action by the licencee or lessee as may be directed by the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research.

(2) The licencee or lessee referred to in sub-rule (1) shall, within sixty days from the date of discovery of any mineral specified in Part B of the First Schedule to the Act, apply to the Secretary, Department of Atomic Energy, Mumbai, through the State Government, for grant of a licence to handle such minerals under the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) and the rules made thereunder and the Department of Atomic Energy shall intimate to the State Government regarding issue of the licence in this regard.

22. Exploration Obligation.—The holder of a mining lease shall complete detailed exploration (G1 level exploration) and prepare a detailed feasibility study report conforming to Part IV and V of the Mineral (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 over the entire area under the mining lease, within a period of five years from the date of commencement of such mining lease.

SCHEDULE I

Terms and conditions of eligibility

[See rules 6(1) and 6(2)]

1. The following net worth requirements shall be applicable for an auction of mining lease depending on the Value of Estimated Resources,—

 (a) If the Value of Estimated Resources is more than Rupees 25 Crores, the applicant, including an individual, shall have a net worth more than 4% of Value of Estimated Resources.

 (b) If the Value of Estimated Resources is less than or equal to Rupees 25 Crores, the applicant, not being an individual, shall have a net worth more than 2% of Value of Estimated Resources.

 (c) If the Value of Estimated Resources is less than or equal to Rupees 25 Crores, the applicant, being an individual, shall have a minimum net worth of 1% of the Value of Estimated Resources.

2. In case of auction of Composite Licence, the applicant must have a net worth of more than 1% of the Value of Estimated Resources.

Explanation:

(1) In case an applicant is a subsidiary of another company incorporated in India, the net worth of such holding company may also be considered:

Provided that, in such case, the applicant must continue to be a subsidiary of such holding company until such time the applicant meets the aforementioned net worth threshold.

(2) In case of a Company, the Net worth shall be the sum of paid up share capital and the free Reserves as per the audited Balance Sheet of the immediately preceding financial year.

(3) In case of an individual, the Net worth shall be the closing cash balance on the last date for submission of application, and such amount may include amount in Savings Bank accounts in Scheduled Bank/ Post Office, free and un-encumbered Fixed Deposits in Scheduled Banks, Post Office, Listed Companies/Government Organisation/Public Sector Undertaking of State and Central Government, Kisan Vikas Patra, National Saving certificate, Bonds, Shares of Listed Companies, Listed Mutual Funds, Unit Linked Insurance Plan, Public Provident Fund, Surrender Value of Life Insurance policies in the name of Applicant.

SCHEDULE II

Indicative list of specified End Use

[See rule 6(3)]

Sl. No.	Mineral/Ore	End Use
1	Bauxite	Alumina Refinery
2	Iron ore	Integrated steel plants
3	Limestone	Cement Plant

SCHEDULE III

Format of Performance Security

[See rules 12(2)]

[*Reference number of the bank*] [*date*]

To
The Governor of [Name of State]
[*address*]

WHEREAS

A. **[Name of the Successful Bidder]** incorporated in India under the Companies Act, [1956/2013] with corporate identity number [CIN of the Successful Bidder], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office] (the "**Successful Bidder**") is required to provide an unconditional and irrevocable bank guarantee for an amount equal to INR [*figures*] (Indian Rupees [*words*]) as a performance security valid until [*date of expiry of performance bank guarantee*] ("**Expiry Date**").

B. The Performance Security is required to be provided to **The Governor of [Name of State]**, (the "**State**") for discharge of certain obligations under the Tender Document dated, [date] with respect to auction of [particulars of auction] and the Mine Development and Production Agreement to be executed between the State and the Successful Bidder (collectively the "**Agreement**").

C. We, [***name of the bank***] (the "**Bank**") at the request of the Successful Bidder do hereby undertake to pay to the State an amount not exceeding INR [*figures*] (Indian Rupees [*words*]) ("**Guarantee Amount**") to secure the obligations of the Successful Bidder under the Agreement on demand from the State on the terms and conditions herein contained herein.

NOW THEREFORE, the Bank hereby issues in favour of the State this irrevocable and unconditional payment bank guarantee (the "**Guarantee**") on behalf of the Successful Bidder in the Guarantee Amount:

1. The Bank for the purpose hereof unconditionally and irrevocably undertakes to pay to the State without any demur, reservation, caveat, protest or recourse, immediately on receipt of first written demand from the State, a sum or sums (by way of one or more claims) not exceeding the Guarantee Amount in the aggregate without the State needing to prove or to show to the Bank grounds or reasons for such demand for the sum specified therein and notwithstanding any dispute or difference between the State and Successful Bidder on any matter whatsoever. The Bank undertakes to pay to the State any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Successful Bidder in any suit or proceeding pending before any court or tribunal relating thereto the Bank's liability under this present being absolute and unequivocal.

2. The Bank acknowledges that any such demand by the State of the amounts payable by the Bank to the State shall be final, binding and conclusive evidence in respect of the amounts payable by Successful Bidder to the State under the Agreement.

3. The Bank hereby waives the necessity for the State from demanding the aforesaid amount or any part thereof from the Successful Bidder and also waives any right that the Bank may have of first requiring the State to pursue its legal remedies against the Successful Bidder, before presenting any written demand to the Bank for payment under this Guarantee.

4. The Bank further unconditionally agrees with the State that the State shall be at liberty, without the Bank's consent and without affecting in any manner the Bank's obligation under this Guarantee, from time to time to:

 (i) vary and/or modify and of the terms and conditions of the Agreement;

 (ii) extend and / or postpone the time for performance of the obligations of the Successful Bidder under the Agreement, or

 (iii) forbear or enforce any of the rights exercisable by the State against the Successful Bidder under the terms and conditions of the Agreement.

 and the Bank shall not be relieved from its liability by reason of any such act or omission on the part of the State or any indulgence by the State to the Successful Bidder or other thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have the effect of relieving the Bank of its obligations under this Guarantee.

5. Any payment made hereunder shall be made free and clear of and without deduction for, or on account of, any present or future taxes, levies, imposts, duties, charges, fees, commissions, deductions or withholdings of any nature whatsoever.

6. The Bank agrees that State at its option shall be entitled to enforce this Guarantee against the Bank, as a principal debtor in the first instance without proceeding at the first instance against the Successful Bidder.

7. The Bank further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that specified in the Agreement and that it shall continue to be enforceable till all the obligations of the Successful Bidder under or by virtue of the said Agreement with respect to the Performance Security have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till the State certifies that the terms and conditions of the Agreement with respect to the Performance Security have been fully and properly carried out by the Successful Bidder and accordingly discharges this guarantee. Notwithstanding anything contained herein, unless a demand or claim under this guarantee is made on the Bank in writing on or before the Expiry Date the Bank shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.

8. The payment so made by the Bank under this Guarantee shall be a valid discharge of Bank's liability for payment thereunder and the State shall have no claim against the Bank for making such payment.

9. This Guarantee is subject to the laws of India. Any suit, action, or other proceedings arising out of this Guarantee or the subject matter hereof shall be subject to the exclusive jurisdiction of courts at the State of [respective State].

10. The Bank has the power to issue this Guarantee in favour of the State. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank

11. The Bank undertakes not to revoke this Guarantee during its currency except with the previous consent of the State in writing.

IndiaCode

12. The State may, with prior intimation to the Bank, assign the right under this Guarantee to any other departments, ministries or any governmental agencies, which may act in the name of the Governor. Save as provided in this Clause 12, this Guarantee shall not by assignable or transferable.

13. Notwithstanding anything contained herein,

a. the liability of the bank under this bank guarantee shall not exceed the Guarantee Amount.

b. This bank guarantee shall be valid up to the Expiry Date.

14. The Bank is liable to pay the guaranteed amount or any part thereof under this bank guarantee only and only if the State serves upon the Bank a written claim or demand on or before the Expiry Date.

Dated the [day] day of [month] [year] for the Bank.

In witness whereof the Bank, through its authorized officer, has set its hand and stamp.

(Signature)

(Name and Designation)

(Bank Stamp)

[F. No. 1/11/2015-M.VI (Part I)]

R. SRIDHARAN, Addl. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.